संख्या-21/2017-2513/58-2017-205/2017

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त 2017**

विषय :- आलू भण्डारण शुल्क एवं कृषकों की समस्याओं के निराकरण हेतु समिति गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्थापित शीतगृहों में आलू भण्डारण शुल्क निर्धारण एवं आलू उत्पादक कृषकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) आलू उत्पादक जनपदों में जिलाधिकारी स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जायेगी :-
- (1) अपर जिलाधिकारी- अध्यक्ष।
- (2) अधिशासी अभियन्ता विद्युत- सदस्य।
- (3) अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक- सदस्य।
- (4) 02 शीतगृह स्वामी- सदस्य।
- (5) 02 प्रगतिशील आलू उत्पादक- सदस्य।
- (6) जिला उद्यान अधिकारी- सदस्य सचिव।

2- उक्त समिति जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित शीतगृहों में न्यूनतम 10 शीतगृहों का रेण्डम आधार पर परीक्षण करते हुए आलू के भण्डारण पर प्रति कुन्तल होने वाले आय-व्यय का आकलन करते हुए 10 दिन के अन्दर अपनी आख्या प्रदेश स्तर पर गठित समिति को प्रस्तुत करेगी।

(2) प्रदेश स्तर पर निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अध्यक्षता में निम्नवत कमेटी गठित की जायेगी :-
- (1) निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0लखनऊ- अध्यक्ष।
- (2) निदेशक कृषि के प्रतिनिधि- सदस्य।
- (3) निदेशक उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के प्रतिनिधि- सदस्य।
- (4) आलू किसान विकास समिति के प्रतिनिधि- सदस्य।
- (5) कोल्ड स्टोरेज संघ के प्रतिनिधि- सदस्य।

3- उक्त समिति जनपद स्तर पर गठित समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर कोल्ड स्टोरेज के भाड़े के निर्धारण के संबंध में अपनी आख्या/संस्तुति शासन को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समिति गठित कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-21/2017-2513(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव मुख्य सचिव उ0प्र0शासन।
(2) निजी सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0-द्वारा निदेशक।
(4) निदेशक उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद-द्वारा निदेशक।
(5) निदेशक कृषि विभाग उ0प्र0-द्वारा निदेशक।
(6) समस्त उप निदेशक उद्यान/जिला उद्यान अधिकारी/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान उ0प्र0-द्वारा निदेशक।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in